SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the Forest Land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by the **JAI PRAKASH ASSOCIATES LTD. SEC. 128 NOIDA (FCA-1980) 115.874** ha forest land for **construction of JP SUPER PLANT & IT'S TOWNSHIP** The site inspection, of the land involved in the proposal has beer done by me on dated **17-03-2018-**

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserved Forest measuring **115.874** ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col-2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rate/endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If so the details there of -No

Whether any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area. If so the details there of with N.O.C. from competent authority, if required –No

(A) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act 1980 and no work has been started without proper sanction. (X)

(B) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation) Act 1980 provisions. A detail report as per Para 1.9 of chapter 1 part C of Handbook of Forest (conservation) Act 1980 is attached. (✓)

Specific recommendation for acceptance of otherwise of the proposal: Recommended for acceptance. - Specific recommendation will be depended upon the enquiry report received in reference of enquiry order no. 946A/14-2-2016-405(96)/96 dated 22-04-2016 attached.

Divisional Forest Officer
Obra Forest Division
Obra, Sonebhadra.

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वनप्रभाग
ओबरा सोनभद्र

Place- Obra, Sonebhadra
Date-

N.B. X- State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
The forest land required to be diverted for construction of above Road
XX- Out of (a) & (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter No. 2-2/2000-FC dated 16.10.2000 from Ministry of Environment & Forests Government of India for proposal involving less than 40 Hectare of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectare of forest land site inspection report from the conservator of forest is required.

सं०/ लगनक-1)

उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग–2
संख्या–946A/14–2–2016–405(96)/96
लखनऊ: दिनांक: 22 अप्रैल, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

जनपद सोनभद्र में उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लि0 की परिसम्पत्तियों की नीलामी प्रक्रिया में वनभूमि सम्मिलित हो जाने तथा वर्ष 2008 में वनभूमि को पृथक कर गैर वनभूमि घोषित कर दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण की जांच हेतु निम्नानुसार जांच समिति गठित की जाती है :–

3497

CCF(LS)

(1)	प्रमुख सचिव, वन एंव वन्यजीव विभाग	–	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	–	सदस्य/संयोजक सचिव
(3)	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	–	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	–	सदस्य

PCCF 29/4

जांच समिति द्वारा प्रकरण की जांच रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत की जायेगी।

वनभूमि का विवरण :–

अधिसूचना संख्या–4951/14–2–2008–20(16)/2008 दिनांक 25.11.2008 से आच्छादित भूमि।

ओम प्रकाश
विशेष सचिव

संख्या–946A (1)/14–2–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित कि वर्णित जांच से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेख जांच अधिकारीगण को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा प्रेषित ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 क्षेत्र का स्थल निरीक्षण रिपोर्टः–

दिनांक–17.03.2018 को मे0 जे0पी0एसोसिएट्स लि0 के प्रतिनिधि श्री सुधीर मिश्र व श्री सुनील शर्मा, श्री एम0के0 यादव, क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाला व सम्बधित कर्मचारियों के साथ मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा प्रस्तवित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया है कि जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र 2 पैच में है। पहला पैच आवासीय क्षेत्र की स्थापना हेतु ग्राम–कोटा के आराजी गाटा संख्या–933क 12.460हे0, गाटा संख्या–2576क रकवा 1.50हे0, गाटा संख्या 2602 रकवा 6.204हे0, गाटा संख्या–2604 रकवा 0.140हे0, व गाटा संख्या–2607 रकवा 0.100हे0 **कुल रकवा 20.804हे0** तथा दूसरा पैच जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट की स्थपना हेतु गाटा संख्या–3198 रकवा 21.10हे0, गाटा संख्या–3199 रकवा 21.250हे0, गाटा संख्या–3200 रकवा 35.760हे0, गाटा संख्या 3108 रकवा 4.110हे0, गाटा संख्या 3202 रकवा 12.850हे0 **कुल रकवा 95.070हे0** है। पैच नं0 1 में जो क्षेत्र आवेदन किया गया है, उस क्षेत्र में प्रस्तावक विभाग का निर्माण, बाउन्ड्रीवाल, टीन शेड, कालोनी, रास्ता, सी0बी0एस0सी0 स्कूल इत्यादि है। पैच नं0 2 में जो क्षेत्र आवेदन किया गया है, उस क्षेत्र में निर्माणाधीन, जे0पी0 सुपर प्लान्ट, रोड, गेस्ट हाउस, स्टोर, क्रशर व वर्कशाप इत्यादि स्थापित है। स्थल निरीक्षण में यह भी देखा गया कि प्रश्नगत क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 के कर्मचारी भ्रमण कर रहे थे, प्रश्नगत क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री के कर्मचारी/अधिकारी भारी मात्रा में कार्यरत एवं मौजूद पाये गये। यह तथ्य संज्ञान में लाना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–20.11.1986 के क्रम में प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में वन बन्दोवस्त अधिकारी सोनभद्र द्वारा पूर्व में (वर्ष 1993–94) ही वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका था, जिसकी पुष्टि अपर जिला जज द्वारा की गयी। प्रश्नगत क्षेत्र को प्राप्त कराने हेतु जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 की तरफ से जनवरी 2007 में मा0 एफ0एस0ओ0 न्यायालय में धारा–7/11 एवं 9/11 के अन्तर्गत वाद दाखिल किया गया, जिस पर वन बन्दोवस्त अधिकारी सोनभद्र द्वारा पुनः वर्ष 2007 में प्रश्नगत क्षेत्र को धारा 4 से पृथक कर निर्णय पारित किया गया। जिसकी पुष्टि जिला जज द्वारा भी कर दिया गया। वर्ष 2008 में जे0पी0 एसोसिएट्स के क्लेम के आधार पर धारा–4, की विज्ञप्ति से पृथक किये गये उक्त क्षेत्रों को छोड़कर विज्ञप्ति संख्या–4952/14–2 –2008–20(17)/2008 दिनांक–25.11.2008 से ग्राम–कोटा का भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया। जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा अनाधिकृत रुप से वन भूमि कब्जा करने के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्ति द्वारा सी0ई0सी0 में शिकायत दर्ज करायी, जिस पर सी0ई0सी0 द्वारा सम्बन्धित पक्षो से रिपोर्ट/आख्या मांगी गयी। पक्षो द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार करनें के उपरान्त सी0ई0सी0 द्वारा अपनी संस्तुति मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। जिसका संज्ञान में लेते हुए, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय में रिट संख्या–2469/2009 दाखिल की गयी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली को सुनवाई करने का निर्देश दिया गया। जिसके क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0 नं0 1166/2015 में दिनांक–04.05.2016 को जे0पी0एसोसिएट्स लि0 से सम्बन्धित कुल 1083.203 हे0 (जिसमें से ओबरा वन प्रभाग का 599.183हे0 है, उक्त क्षेत्र में से 115.874हे0 प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रस्तावति है) क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेश के बाद प्रश्नगत क्षेत्र में कोई गैर वानिकी कार्य/निर्माण कार्य नहीं किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेश दिनांक–30.05.2016 के क्रम में भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रस्ताव के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

(अमर बहादुर)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के गाईड लाईन के पैरा 1.9 का सूचनाः–

अवगत कराना है कि प्रश्नगत क्षेत्र पर विधिक रुप से कब्जा हेतु जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 की तरफ से जनवरी 2007 में मा0 एफ0एस0ओ0 न्यायालय में धारा–7/11 एवं 9/11 के अन्तर्गत वाद दाखिल किया गया, जिस पर वन बन्दोवस्त अधिकारी सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को धारा 4 से पृथक कर निर्णय पारित किया गया। जिसकी पुष्टि जिला जज द्वारा भी कर दिया गया। वर्ष 2008 में जे0पी0 एसोसिएट्स के क्लेम के आधार पर धारा–4 की विज्ञप्ति से पृथक किये गये क्षेत्रों को छोड़कर विज्ञप्ति संख्या–4952 /14–2–2008–20(17)/2008 दिनांक–25.11.2008 से ग्राम–कोटा का भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया। जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा अनाधिकृत रुप से वन भूमि कब्जा करने के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्ति द्वारा सी0ई0सी0 में शिकायत दर्ज करायी, जिस पर सी0ई0सी0 द्वारा सम्बन्धित पक्षो से रिपोर्ट/आख्या मांगी गयी। पक्षो द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार करनें के उपरान्त सी0ई0सी0 द्वारा अपनी संस्तुति मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। जिसका संज्ञान में लेते हुए, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय में रिट संख्या–2469/2009 दाखिल की गयी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली को सुनवाई करने का निर्देश दिया गया। जिसके कम में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0 नं0 1166/2015 में दिनांक–04.05.2016 को जे0पी0एसोसिएट्स लि0 से सम्बन्धित कुल 1083.203 हे0 (जिसमें से ओबरा वन प्रभाग का 599.183हे0 है, उक्त क्षेत्र में से 115.874हे0 प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रस्तावति है) क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र में जो भी गैर वानिकी कार्य/निर्माण कार्य किया गया है वह मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेश दिनांक–04.05.2016 से पूर्व किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेश के बाद प्रश्नगत क्षेत्र में कोई गैर वानिकी कार्य/निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इसलिए उक्त गैर वानिकी कार्य/निर्माण कार्य में वन विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसम्मेदार नहीं है।

(अमर बहादुर)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र